

कार्यालय
निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाये,
उत्तराखण्ड,

पो0ओ0 गुजराडा, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून-248001, उत्तराखण्ड।

शास्त्रीय औषधियों की आपूर्ति हेतु तकनीकी निविदा प्रपत्र-वर्ष 2025-26 (ओपन)

निविदा शुल्क	5000.00
--------------	---------

1	निविदा संख्या :- ४२५३ लेखा-618/2025-26	दिनांक-05.12.2025 समय 03.00 बजे से
2	निविदा वेबसाइट Uktenders.gov.in पर उपलब्ध होने की तिथि	दिनांक 05.12.2025 से दिनांक 12.12.2025 प्रातः 12:00 बजे तक
3	तकनीकी बिड खोलने की तिथि	दिनांक : 12.12.2025 को अपराहन :03:00 बजे से
4	वित्तीय बिड खोलने की तिथि	तकनीकी निविदा के पश्चात निर्धारित की जायेगी
5	तकनीकी बिड खोलने का स्थान-	आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाये, निदेशालय डांडा लखोण्ड, सहस्त्र धारा रोड़, देहरादून
6	प्रि-विड मिटिंग की तिथि	प्रि-विड मिटिंग दिनांक : 08.12.2025 को ऑन लाइन होगी, जिसका विस्तृत विवरण नियम/ शर्तों में उल्लेख किया गया है।
7	प्रि-विड मिटिंग का स्थान	आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाये, निदेशालय डांडा लखोण्ड, सहस्त्र धारा रोड़, देहरादून
8	फर्म का नाम व पता-	
9	फर्म का जी.एस.टी. पंजीयन संख्या	
10	फर्म का आयकर PAN-	
11	धरोहर राशि की धनराशि	

1. धरोहर राशि का विवरण-

बैंक का नाम	F.D.R संख्या	दिनांक	धनराशि

निविदादाता फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
प्रतिनिधि का नाम.....

दूरभाष संख्या

मोबाईल नम्बर:

Handwritten signature

Handwritten signature

ई-निविदा (ओपन) से सम्बन्धित सामान्य नियम / शर्तें

- 1- राज्य योजनान्तर्गत आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधियों के क्रय हेतु आवंटित धनराशि से उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों, एलोपैथिक चिकित्सालयों में संचालित आयुष विंगों तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित आयुष विंगो हेतु शास्त्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधियां क्रय की जायेगी।
- 2- निविदायें जी0एम0पी0 धारक मूल औषधि निर्माण इकाइयो लाईसेन्स 25 D, 26 D, and 26E(1) तथा Ayush Premium Mark Certificate अथवा WHO-COPP (Certificate of Pharmaceutical Product) धारक इकाइयों से आमंत्रित की जाती है।
- 3- मूल औषधि निर्माण इकाइयो के पास कम से कम 10 औषधियो हेतु Ayush Premium Mark Certificate अथवा WHO-COPP (Certificate of Pharmaceutical Product) होना अनिवार्य है।
- 4- निविदा मे उल्लिखित समस्त औषधिया/क्रय आदेश मे उल्लिखित औषधियो को फर्मो के द्वारा अधिकतम 45 दिवस के अन्तर्गत आपूर्ति की जानी है।
- 5- आपूर्ति की जाने वाली एक औषधि एक ही बैच की होनी चाहिए।
- 6- 25 प्रतिशत से अधिक अद्यमानक पाये जाने पर औषधि आपूर्ति आदेश निरस्त किये जाने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
- 7- निविदायें दिनांक 05.12.2025 समय अपराहन 03:00 बजे से दिनांक 12.12.2025 प्रातः 12:00 बजे तक उत्तराखण्ड सरकार की वेबसाइट <https://Uktenders.gov.in> पर केवल ऑनलाईन भरने हेतु उपलब्ध रहेंगी। ऑन लाईन बिड भरने हेतु फर्मो को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये DSC(digital signature certificate) की आवश्यकता होगी।
- 8- ऑफ लाइन बिड स्वीकार नहीं की जायेगी।
प्रि-विड मीटिंग प्रि विड मीटिंग दिनांक 08.12.2025 को अपरान्ह 3.00 बजे ऑन लाइन की जायेगी। बैठक का ऑन लाइन लिंक meet.google.com/mnh-wzem-qqz है।
- 9- प्रपत्रों को प्रेषित करने का माध्यम—निविदादाता को ऑनलाइन बिड भरते समय संलग्नक "क" पर उपलब्ध चैक लिस्ट के अनुसार समस्त प्रपत्रों की स्कैन की हुई प्रतियां ऑनलाईन अपलोड करनी होगी। समिति के सम्मुख केवल निविदादाता द्वारा स्कैन की हुई प्रतियां आनलाईन अपलोड प्रपत्रों को ही प्रस्तुत किया जायेगा। निविदा से सम्बन्धित सभी प्रपत्रों में पृष्ठ संख्या अनिवार्य रूप से डाली



जाय, तथा प्रपत्रों को संलग्नक "क" के अनुसार ही प्रस्तुत किया जाय जिसमें पृष्ठ संख्या.....से..... तक अनिवार्य रूप से अंकित किया जाये।

10- उक्त निविदा मे केवल ए0पी0आई0/ए0एफ0आई0 मे वर्णित औषधियों का ही क्रय किया जा रहा है।

11- धरोहर धनराशि धरोहर धनराशि राशि रु0-420000.00 (रुपये चार लाख बीस हजार मात्र) की एफ0डी0आर0 के रूप में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाये, उत्तराखण्ड, देहरादून के नाम बन्धक हो, को दिनांक 12.12.2025 समय प्रातः 12:00 बजे तक मूल रूप में निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करानी होगी। धरोहर धनराशि के अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।


12- निविदा शुल्क - निविदा शुल्क की धनराशि रु0-5000.00 (पांच हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाये, उत्तराखण्ड, देहरादून के नाम से जारी होगा तथा उक्त धनराशि का बैंक ड्राफ्ट धरोहर धनराशि के साथ ही प्रस्तुत किया जायेगा।

13- टर्न ओवर : फर्म के अन्तिम तीन वर्षों का औसतन टर्न ओवर प्रति वर्ष रु0 60000000.00 (रु0 छह करोड मात्र) का प्रमाण पत्र (अन्तिम तीनों वर्षों 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 का विवरण एक प्रति/एक पेपर में ही) चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सत्यापित कराकर उसकी मूल प्रति संलग्न करनी होगी।

14- वांछित आवश्यक प्रपत्र ऑनलाईन निविदा भरते समय संलग्नक "क" पर उपलब्ध बैंक लिस्ट के अनुसार प्रपत्रों की स्कैन की हुई प्रतियां ऑन लाईन अपलोड करनी होंगी। उक्त के अतिरिक्त सभी प्रपत्रों की एक-एक प्रति, धरोहर धनराशि के साथ शीलबन्द लिफाफे में निर्धारित तिथि तक उपलब्ध करायी। उक्त प्रपत्र समिति के सम्मुख उस स्थिति में ही प्रस्तुत किये जायेगा यदि किसी फर्म द्वारा स्कैन किया हुआ ऑनलाइन प्रपत्र समिति के पढने में न आ रहा हो निविदा मे फर्म द्वारा ऑन लाइन अपलोड प्रपत्र ही मान्य होंगे।

15- औषधियों के दो-दो नमूने उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में- निविदादाता द्वारा तकनीकी बिड में जिन औषधियों की सूची दी गयी है, उन औषधियों के दो-दो नमूने अलग-अलग पैकिंग सहित सील बन्द रूप से जिस पर औषधियों की सूची चस्पा हो, तकनीकी निविदा खोलने की अन्तिम तिथि से पूर्व निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। निविदादाता द्वारा निविदा अन्तिमीकरण की तिथि से एक माह अवधि के अन्तर्गत स्वयं के





पर ऐसे नमूने वापस लिए जा सकते हैं तत्पश्चात उनकी वापसी सम्बन्धी कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

16- सैंपल की जांच के सम्बन्ध मे-

(1) सम्बन्धित फर्म द्वारा जनपदो मे आपूर्ति की गयी समस्त औषधियों की औषधि निरीक्षक द्वारा 100 प्रतिशत जांच करायी जायेगी।

17- नॉन कन्विक्शन प्रमाण-नॉन कन्विक्शन प्रमाण (NON- CONVICTION) पत्र जो एक वर्ष से पुराना न हो। नॉन कन्विक्शन प्रमाण सम्बन्धित राज्य के लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा निर्गत, मान्य होगा। विभाग की इसमें कोई जिम्मेदारी नही होगी कि नॉन कन्विक्शन प्रमाण निर्गत किये जाने हेतु लाइसेंसिंग अधिकारी के द्वारा सम्बन्धित फर्म की जांच/निरीक्षण किसी स्तर से करायी गया है।

18- क्रय की जाने वाली औषधियों की मात्रा घट बढ़ सकती है।

19- बी0ओ0क्यू0 मे औषधियो की कुल मात्रा का उल्लेख तकनीकी कमी के कारण नही हो पाता है अतः बी0ओ0क्यू0 मे प्रतिभागी द्वारा एक यूनिट की दर अंकित की जानी है।

20- निविदा में मांगी गई धरोहर राशि रु0- 420000.00 (रुपये चार लाख बीस हजार मात्र) की एफ0डी0आर0 के रूप में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाये, उत्तराखण्ड, देहरादून के नाम बन्धक हो, संलग्न कर मूल रूप में प्रस्तुत करें।

21- जिन फर्मों द्वारा पूर्व मे औषधि सैंपल एवं एफ0डी0आर0 जमा किये गये है उन्हे पुनः औषधि सैंपल एवं एफ0डी0आर0 जमा करने की आवश्यकता नही है।

22- उक्त निविदा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये वैध रहेगी। राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा निविदा प्रकशित के पश्चात वर्तमान में आवंटित धनराशि के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु धनराशि आवंटित की जाती है तो उस हेतु अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार कार्यपूर्ति प्रतिभूति संविदा मूल्य के 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत फर्म को धरोहर धनराशि की एफ0डी0आर0 पृथक से देनी होगी।

23- औषधियों को राज्य के समस्त जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी कार्यालय (देहरादून, टिहरी गढवाल (स्थित नरेन्द्र नगर), उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली (स्थित गोपेश्वर), पौड़ी, हरिद्वार, अल्मोड़ा, चम्पावत, बागेश्वर, नैनीताल (स्थित भीमताल), पिथौरागढ़ एवं ऊधमसिंह नगर के औषधि भण्डार तक पहुंचाने का





दायित्व आपूर्तिकर्ता का होगा। फर्म अपने व्यय पर ही औषधि आपूर्ति सुनिश्चित करेगी, इसके लिए कोई अतिरिक्त दुलान व्यय देय नहीं होगा, किसी भी दशा में क्षरण पूर्ति स्वीकार्य एवं देय नहीं होगी। अतः गन्तव्य स्थान तक पहुंचाने हेतु दरे F.O.R होंगी। संलग्नक "ग" के अनुसार सहमति पत्र पर अनुबन्ध करना होगा।

- 24- औषधियों की आपूर्ति, निदेशालय से आदेश निर्गत होने की तिथि से 45 दिवस के अन्तर्गत करनी होगी। आदेश निर्गत होने के पश्चात समायान्तर्गत आपूर्ति न करने की दशा में निम्नानुसार अर्थदण्ड (Penalty) देय होगा।

1.	01 (प्रथम) दिवस से 05 वें दिवस तक	3%
2.	06 वे दिवस से 10 वें दिवस तक	5%
3.	11 वे दिवस से 15 वें दिवस तक	12%

यदि 60 (45+15) दिन के अन्तर्गत भी आपूर्ति नहीं की जाती है तो बिना पूर्व सूचना दिये आपूर्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा L2 से औषधि आपूर्ति हेतु आदेश निर्गत किये जायेंगे, तथा फर्म को ब्लैक लिस्टिड करने की कार्यवाही किये जाने के लिये विभाग स्वतंत्र होगा। इस हेतु संलग्नक "घ" के अनुसार नोटरी द्वारा प्रमाणित रू0 100/- स्टाम्प पेपर पर सहमति पर पत्र देना होगा।

- 25- औषधियों की गुणवत्ता—औषधियों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला व केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त औषधि परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुणवत्ता परीक्षण के सम्बन्ध में जारी "ए0पी0आई0"/ए0एफ0आई0 के मानकानुसार हो, की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

- 26- यदि आपूर्ति के उपरान्त यथा प्रमाणिक संस्थाओं द्वारा औषधियां मानकों के अनुरूप अथवा गुणवत्ता युक्त नहीं पायी जाती है, आपूर्ति कर्ता फर्म को स्वयं के व्यय पर 10 दिवस के अन्तर्गत औषधि वापस प्राप्त करनी होगी तथा निर्धारित समायान्तर्गत उच्च गुणवत्ता युक्त औषधियों की आपूर्ति करनी होगी, ऐसा न करने पर सम्बन्धित फर्म द्वारा बन्धक के रूप में दी गई धनराशि को जब्त करते हुए फर्म के व्यय पर उन औषधियों को निष्प्रयोज्य किया जायेगा एवं फर्म को ब्लैकलिस्टेड करने की कार्यवाही की जायेगी।

- 27- किसी भी प्रकरण के वाद का क्षेत्र देहरादून होगा।

- 28- सभी औषधियों की दरे इंगित करते समय जी.एस.टी./सी.जी.एस.टी (GST & CGST) को पृथक रूप से अंकित किया जाय।

क्रमसं०	कार्यालय का नाम	पत्राचार का पता	निविदा के सम्बन्ध में अधिक जानकारी हेतु निम्न मो० नम्बर पर सम्पर्क किया जा सकता है।
---------	-----------------	-----------------	---

Handwritten signature

Handwritten signature

1.	निदेशालय आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें उत्तराखण्ड, देहरादून।	निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, डांडालाखौण्ड, सहस्त्रधारा रोड नियर आई0टी0 पार्क उत्तराखण्ड, देहरादू।	8449745651
----	--	--	------------

Dr
04/12/24

(डॉ० विजय कुमार जोगदण्डे)
निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें,

औषधियों की आपूर्ति हेतु आवश्यक नियम/शर्तें

1. गोली (Tablet) या कैप्सूल प्लास्टिक/ग्लास की पैकिंग पर प्रत्येक मद के सामने उल्लिखित इकाई के अनुसार औषधियों का नाम, बैच संख्या, विनिर्माण की तारीख तथा समापन की तिथि एवं "केवल उत्तराखण्ड राज्य के लिए शासकीय आपूर्ति हेतु बिक्री के लिए नहीं है" अंकित करना अनिवार्य है।

औषधियों की निर्माण/प्रयोग की अवधि

1. (क) क्वाथ (चूर्ण और प्रवाही) चूर्ण अवलेह, पाक, गुटी घृत की आपूर्ति की दशा में और ऐसे प्रोडक्ट जिनमें ऐसे रूपकारी तत्व अन्तर्विष्ट हैं, के आपूर्ति की दशा में आपूर्ति की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर विनिर्मित की गई होनी चाहिए।

(ख) आसव आरिष्ट निर्मितियां, आपूर्ति के समय पर कम से कम छः मास पुरानी होनी चाहिए।

(ग) निविदा के प्रति आपके द्वारा प्रस्तावित प्रत्येक बैच के बाबत प्रत्येक बोतल/पैकिट/टीन आदि पर विनिर्माण की तारीख, बैच सं० ओर मुख्य संघटक एवं समापन तिथि स्पष्ट रूप से अंकित होना आवश्यक है। बाह्य लिफाफे, कार्टन एवं ट्यूब पर भी बैच सं० ओर निर्माण की तारीख एवं समापन की तिथि अंकित होनी आवश्यक है।

(घ) प्रदत्त शास्त्रीय औषधियों निर्मित के किसी भी रूप में जैसे बूंदे/टिकिया/कैप्सूल/सिरप/मलहम/अवलेह आदि आपूर्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर विनिर्मित की गई होनी चाहिए।

2. औषधियों की पैकिंग के लिए ड्रग्स एवं कोस्मेटिक एक्ट 1940 एवं ड्रग्स एवं कोस्मेटिक रूल 1945 तथा समय-समय पर इस सम्बन्ध में जारी निर्देशों के अनुरूप होना आवश्यक है।

(क) सभी उत्पाद और अन्य कार्टन/रैपर आदि के लेबल अत्यन्तः स्पष्ट अक्षरों में चिन्हित होने चाहिए।

(ख) उत्पाद के लेबल ओर बाह्य पैकिंग (कार्टन/रैपर) जब कभी उत्पाद बाह्य पैकिंग सहित आपूर्ति किया जाता है तब उस पर भी (उत्तराखण्ड राजकीय आपूर्ति, विक्रय के लिए नहीं (Not for Sale) मुद्रित/चिपकाया गया होना चाहिए।

- (1) आयुर्वेदिक/यूनानी औषधि
- (2) ग्रंथ संकेत
- (3) औषधि का नाम
- (4) औषधि के घटक एवं मात्रा
- (5) लाईसेंस संख्या
- (6) विनिर्माण की तिथि
- (7) समापन तिथि
- (8) पैकिंग के अन्दर औषधि का वजन (गोलियों की संख्या) आदि अंकित होनी चाहिये
- (9) औषधि का वजन METRIC प्रमणली में अंकित होना चाहिये।
- (10) निर्माता का नाम एवं पता मेल आई.डी. आदि
- (11) लेबल हिन्दी एवं अग्रेजी भाषा में होना चाहिये
- (12) फर्म द्वारा जी.एम.पी. प्राप्त होने का उल्लेख होना चाहिये

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature
04/11/25

3. वित्तीय निविदा में औषधिया की दरे मांगी गयी है। वित्तीय निविदा में प्रत्येक औषधियों में L1 के अनुसार निर्धारण करते हुए क्रय आदेश निर्गत किया जायेगा। कय आदेश औषधियों के कुल योग के अनुसार निर्गत नहीं होगा।
4. उत्पाद की असलियत और अर्न्तवस्तु की अन्य शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी बोतल / टिन / प्लास्टिक कन्टेनर आदि पिलफर प्रूफसील से किया जाना अपेक्षित है। पैकिंग को सील करने के लिए चिकने कागज का प्रयोग न किया जाय।
 - (क) आसव, आरिष्ट, तैल, क्वाथ (प्रवाही), घृत, अवलेह, लवण और क्षार की पैकिंग कांच या प्लास्टिक (खाद्य श्रेणी) की बोतल में किया जाए।
 - (ख) सीरप रूप में जो अवलेह हों, उनका पैकिंग संकरे मुंह वाली कांच/प्लास्टिक की बोतलों में किया जाए।
 - (ग) अवलेह और घृत की पैकिंग चौड़े मुंह कांच/प्लास्टिक कन्टेनर में किया जाए।
 - (घ) चूर्ण और क्वाथ चूर्ण की पैकिंग टिन/प्लास्टिक कन्टेनर में किया जाए। भीतरी पैकिंग केवल खादय पालिथिन के थैलों में की जाए।
5. सम्बन्धित भण्डार को आपूर्ति की जाने वाली औषधियों के सभी लेबल हिन्दी एवं अंग्रेजी में लिखे होने चाहिए। सम्बन्धित भण्डार द्वारा कोई टी0आर0/आर0आर0 और डाक पार्सल स्वीकार नहीं किए जाएंगे। माल केवल सम्बन्धित जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के कार्यालयों के स्टोर/निर्धारित भण्डार में ही उपलब्ध कराया जाना होगा।
6. निविदा प्रपत्र में औषधि की दरें उल्लिखित पैकिंग के अनुसार ही अंकित होना अनिवार्य है उल्लिखित पैकिंग के अनुरूप दरें न होने पर उक्त दरें स्वीकार नहीं की जायेगी।
7. औषधियों की आपूर्ति निविदा प्रपत्र में उल्लिखित सन्दर्भ ग्रन्थों के अनुसार ही तैयार की जायेगी जिस हेतु आपूर्ति करने के समय औषधि आपूर्ति कर्ता द्वारा पृथक से शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

माध्यस्थम खंड (ARBITATOR)

यदि इस संविदा के अधीन या संविदा के निबंधनों और शर्तों के निर्वसन के संबध में केता और निविदादाता के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो माध्यस्थम के रूप में कार्य करने के लिए उत्तराखण्ड शासन द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति का निर्णय इस संविदा के दोनो पक्षकारों के लिए अंतिम रूप से बाध्यकारी होगा। माध्यस्थम खंड (ARBITATOR) उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में विभाग की कोई जिम्मेदारी नही होगी।


 04/11/22
 (डॉ० विजय कुमार जोगदण्डे)
 निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवार्यें,
 उत्तराखण्ड देहरादून।

संलग्नक "क"

चैक लिस्ट

ऑन लाइन तकनीकी निविदा एवं शील बन्द लिफाफे के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्रों की सूची क्रमानुसार

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ से	तक
1	सम्बन्धित फर्म का <u>WHO-GMP</u> अथवा <u>AYUSH Premium Mark Certificate</u>		
2	उद्योग विभाग द्वारा जारी लाइसेन्स की प्रति		
3	मूल औषधि निर्माण लाइसेन्स, अद्यावधिक नवीनीकरण प्रमाण पत्र एवं औषधियों की अनुमोदित सूची		
4	जी0एम0पी0 प्रमाण-पत्र अद्यावधिक नवीनीकरण प्रमाण पत्र		
5	जी.एस.टी. पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं तीन माह का जी0एस0टी0 रिटर्न की प्रति		
6	फर्म के नाम का आयकर विभाग का PAN नम्बर तथा विगत तीन वर्षों के आयकर रिटर्न की छाया प्रति।		
7	निविदा में उल्लिखित नियम व शर्तों के अनुसार आपूर्ति करने हेतु सहमति पत्र (संलग्नक "ख" के अनुसार नोटरी द्वारा प्रमाणित रू0 100/- स्टाम्प पेपर पर सहमति प्रपत्र पर)		
8	एफ0ओर0आर0 आपूर्ति सम्बन्धी स्वघोषित प्रमाण पत्र संलग्नक "ग" के अनुसार।		
09	औषधियों की आपूर्ति, निर्धारित समयान्तर्गत आपूर्ति न करने पर प्रतिदिन की दर से देय पेनल्टी, औषधियों की आपूर्ति न करने की दशा में फर्म द्वारा जमा धरोहर धनराशि जब्त करने व फर्म को ब्लैक लिस्टिड करने हेतु सहमति पत्र (संलग्नक "घ" के अनुसार नोटरी द्वारा प्रमाणित रू0 100/- स्टाम्प पेपर पर सहमति प्रपत्र पर)		
10	काली सूची में (Blacklisted) न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ पत्र नोटरी द्वारा सत्यापित संलग्नक "च" के अनुसार नोटरी द्वारा प्रमाणित रू0 100/- स्टाम्प पेपर पर सहमति प्रपत्र पर)		
11	मानकों के अनुरूप गुणवत्ता न पाये जाने पर आपूर्ति की गयी औषधियों को अपने निजी व्यय पर वापस प्राप्त करने सम्बन्धी स्वघोषित प्रमाण पत्र संलग्नक "छ" के अनुसार।		
12	नॉन कन्विक्शन प्रमाण (NON- CONVICTION) पत्र जो एक वर्ष से पुराना न हो।		
13	निविदा शल्क का बैंक ड्राफ्ट (रू0 5000.00मात्र)		
14	फर्म के अन्तिम तीन वर्षों (2022-23, 2023-24, 2024-25) का टर्न ओवर औसतन 60000000.00 (रूपये छह करोड मात्र) सी0ए0 द्वारा प्रमाणित प्रति।		
15	धरोहर राशि की एफ0डी0आर0 (जिन फर्मों द्वारा पूर्व में आवेदन किया गया था उनके द्वारा पूर्व में जमा की गयी एफ0डी0आर0 मान्य होगी)		

दिनांक:-

स्थान:-

R-1

निविदा दाता के हस्ताक्षर.....

नाम :

निविदा में उल्लिखित नियम एवं शर्तों के अनुसार आपूर्ति करने की सहमति का अनुबन्ध पत्र

सेवामें,

निदेशक
आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महोदय,

निदेशक; आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून की विज्ञप्ति संख्या..... दिनांक.....के सन्दर्भ में राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों, आयुष विंगों तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित आयुष विंगों हेतु शास्त्रीय औषधियों की आपूर्ति हेतु सभी नियम व शर्तें पढ़ ली हैं, जिसके आधार पर आपूर्ति करने हेतु सहमति प्रदान करता हूँ, तथा साथ ही धरोहर राशि के रूप में रु० (रु० मात्र) एफ०डी०आर० संख्यादिनांक.....बैंक.....संलग्न है। यदि फर्म द्वारा निविदा की शर्तों का पालन नहीं किया जाता है, औषधियों की आपूर्ति निर्धारित समय पर नहीं की जाती है और इस प्रकार जमा धरोहर राशि को निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून के पक्ष में जब्त कर लिया जाता है तो इसका उत्तरदायित्व स्वयं मेरा/हमारा होगा साथ ही फर्म को ब्लैक लिस्टिड करने की कार्यवाही किये जाने के लिये विभाग स्वतंत्र होगा, इस पर फर्म को कोई आपत्ती नहीं होगी।

दिनांक:

स्थान:.....

पता:

हस्ताक्षर

नाम.....

सील.....

ख (100 रुपये के स्टॉम)
सहमति का

संलग्नक-“ग”

आपूर्ति के सम्बन्ध में स्व- घोषित प्रमाण-पत्र

मै/हम मैसर्स _____ एतद्वारा घोषित

करता हूँ/करते है कि निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवार्ये,उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा औषधियों की आपूर्ति सम्बन्धी आपूर्ति आदेश दिये जाने की दशा में मेरी/हमारी फर्म द्वारा आदेश में इंगित उत्तराखण्ड के जनपदीय जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी कार्यालयों में एफ0ओर0आर0 के आधार पर आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।

दिनांक-

स्थान-

हस्ताक्षरकर्ता
अधिकृत प्रतिनिधि का नाम
फर्म का नाम

पैनल्टी से सम्बन्धित सहमति/अनुबन्ध पत्र

मै/हम मैसर्स _____ एतद्वारा घोषित करता

हूँ/करते है कि निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें,उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा औषधियों की आपूर्ति, आदेश में इंगित अवधि में सुनिश्चित की जायेगी। निश्चित अवधि में आपूर्ति न हो पाने की दशा में निविदा की सेवा शर्तों के अनुसार प्रतिदिन की दर से देय पेनल्टी के लिए मै/हमारी फर्म पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी। औषधियों की आपूर्ति न करने की दशा में फर्म द्वारा जमा धरोहर धनराशि जब्त करने व फर्म को ब्लैक लिस्टिड करने की कार्यवाही किये जाने के लिये विभाग स्वतंत्र होगा व फर्म को इस पर कोई आपत्ती नहीं होगी।

दिनांक—

स्थान—

हस्ताक्षरकर्ता
अधिकृत प्रतिनिधि का नाम
फर्म का नाम

संलग्न "च" (100रूपये के रटांग्प पर)

सम्बन्धित फर्म को काली सूची (Black Listed) मे घोषित नही किया गया सम्बन्धी प्रारूप

मै/हम मैसर्स _____ एतदद्वारा घोषित करता हूँ/करते है कि निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा औषधियों की आपूर्ति हेतु प्रसारित निविदा संख्या- _____ दिनांक- _____ के क्रम मे हमारी फर्म बेदाग है। असंतोषजनक, प्रदर्शन, सामान्य या विशिष्ट निर्देशो के उल्लंघन भ्रष्ट/ धोखाधडी या अन्य किसी अनैतिक व्यापार प्रथाओ के कारण केन्द्र सरकार/राज्य सरकार सीपीएसयू0/पी0एस0यू0 के द्वारा कभी भी अपात्र (Black Listed) घोषित नही किया गया है।

दिनांक-

स्थान-

हस्ताक्षरकर्ता

अधिकृत प्रतिनिधि का नाम

फर्म का नाम

स्व: घोषित प्रमाण पत्र

मै/हम मैसर्स—एतदद्वारा घोषित करता हूँ/करते है कि निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा औषधियों की आपूर्ति हेतु प्रसारित निविदा संख्या— दिनांक— के क्रम मे यदि हमारी फर्म द्वारा आपूर्ति की गयी औषधिया मानको के अनुरूप गुणवत्तायुक्त नही पायी जाती है तो ऐसी औषधियो को फर्म के द्वारा अपने निजी व्यय पर वापिस प्राप्त करते हुए ई-निविदा से सम्बन्धित शर्तो के अनुसार 10 दिवस के अन्तर्गत उच्च गुणवत्तायुक्त औषधियो की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।

दिनांक—

स्थान—

हस्ताक्षरकर्ता

अधिकृत प्रतिनिधि का नाम

फर्म का नाम

५
६

औषधि की आपूर्ति की आपूर्ति हेतु विवरण का नमूना।

संलग्नक "ज"

क्र०स०	आपूर्ति औषधि हेतु पेटी का क्रमांक	पेटी में रखी गयी औषधि का नाम	मात्रा	पेटी में रखी गयी औषधियों की मात्रा
1	पेटी संख्या-01	Amritarishta	200 ml	100 नग
		Ashwagandharishta	200 ml	250 नग
		Dashamularishta	200 ml	150 नग
		Drakshasava	100 ml	50 नग
2	पेटी संख्या-02	Kumaryasava	200 ml	250 नग
		Lohasava	200 ml	200 नग
		Puga Khand	150 ml	200 नग
		Sarasvatarishta	100 ml	150 नग
3	पेटी संख्या-02			

दिनांक-
स्थान-

हस्ताक्षरकर्ता
अधिकृत प्रतिनिधि का नाम
फर्म का नाम

OPEN

1	Abhayarishta	AFI	200 ml	28	Drakshavaleha	AFI
2	Amritarishta	AFI	200 ml	29	Haridrakhanda Paka	AFI
3	Aravindasava	AFI	200 ml	30	Kutajavaleha	AFI
4	Arjunarishta/ Parthadyarishta	AFI	200 ml	31	Kalyanak Guda	AFI
5	Ashokarishta	AFI	200 ml	32	Kantakaryavaleha	AFI
6	Ashvagandharishta	AFI	200 ml	33	Kushmandaka Rasayana	AFI
7	Balarishta	AFI	200 ml	34	Puga Khanda/ Supari Paka	AFI
8	Dashamularishta	AFI	200 ml	35	Shatavariguda	AFI
9	Drakshasava	AFI	200 ml	36	Vasavaleha	AFI
10	Draksharishta	AFI	200 ml	37	Vyaghri Haritaki	AFI
11	Jirakadyarishta	AFI	200 ml	38	Pathyadi Kvatha (Shadanga) Churna	AFI
12	Kanakasava	AFI	200 ml	39	Phalatrikadi Kvatha Churna	AFI
13	Kumaryasava	AFI	200 ml	40	Varunadi Kvatha Churna	AFI
14	Kutajarishta	AFI	200 ml	41	Gokshuradi Guggulu	AFI
15	Khadirarishta	AFI	200 ml	42	Kanchanara Guggulu	AFI
16	Lohasava	AFI	200 ml	43	Kaishora Guggulu	AFI
17	Mustakarishta	AFI	200 ml	44	Lakshadi Guggulu	AFI
18	Pippalyadyasava	AFI	200 ml	45	Simhanada Guggulu	AFI
19	Rohitakarishta	AFI	200 ml	46	Saptavinshati Guggulu	AFI
20	Ushirasava	AFI	200 ml	47	Triphala Guggulu	AFI
21	Punarnavasava	AFI	200 ml	48	Trayodashanga Guggulu	AFI
22	Arka Yavani/ Arka Ajvayana	AFI	50 ml	49	Punarnava Guggulu	AFI
23	Arka Pudina	AFI	50 ml	50	Yogaraja Guggulu	AFI
24	Agastya Haritaki/ Agastya Rasayana	AFI	100 gm	51	Brahmi Ghrita	AFI
25	Bilvadi Leha	AFI	100 gm	52	Dadimadi Ghrita	AFI
26	Chitraka Haritaki	AFI	100 gm	53	Jathyadi Ghrita	AH
27	Chyavanprash Avaleha	AFI	100 gm	54	Kalyanaka Ghrita	AFI

P-17

mud

UNANI

1	Itri-fal-e-Ustukhud- doos 100 gm	gm	16	Majoon-e- Muqawwi- erahem 100 gm	gm
2	Jawarish-e-Amla Sada 100 gm	gm	17	Raughan-e- Suranjan 50ml	ml
3	Jawarish-e-Jalinoos 100 gm	gm	18	Raughan-e-Surkh 50ml	ml
4	Jawarish-e-Shahi 100 gm	gm	19	Sufoof-e-Habis- ud-Dam 50 gm	gm
5	Jawarish-e-Zarooni Sada 100 gm	gm	20	Safoof e Hazim 50 gm	gm
6	Khamira Abresham Hakim Arshadwala 60 gm	gm	21	Sufoofe--Mudrr- e-Haiz 50 gm	gm
7	Khamira Gaozaban Sada 60gm	gm	22	Sharbat-e-Belgiri 200 ml	ml
8	Khamira Marwareed 60 gm	gm	23	Sharbat-e- Buzoori Motadil 200 ml	ml
9	Laoq-e-Sapistan 100 gm	gm	24	Sharbat-e-Deenar 200 ml	ml
10	Marham-e-Quba 50 gm	gm	25	Sharbat-e-Faulad 200 ml	ml
11	Majoon-e-Arad Khurma 100 gm	gm	26	Sharbat-e-Khaksi 200 ml	ml
12	Majoon-e-Dabeed-ul- ward 100 gm	gm	27	Sharbat-e-Toot Siyah 200 ml	ml
13	Majoon-e-Flasifa 100 gm	gm	28	Sharbat-e-Unnab 200 ml	ml
14	Majoon-e-Jograj Guggal 100 gm	gm	29	Tiryaq-e-Nazla 100 gm	gm
15	Majoon-e-Masik-ul- Baul 100 gm	gm	30	Zuroor-e-Qula 10 gm	gm

mid

P-1